



# उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र

(पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय), भारत सरकार

**Centre for High Technology**

(Ministry of Petroleum & Natural Gas), Govt. of India

स.उ.प्रौ.के./प्रशा./3.17/ 2051

दिनांक 18.11.2019

**अनुभाग अधिकारी (OR)**

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय,

भारत सरकार, शास्त्री भवन,

**नई दिल्ली - 110001**

**विषय: दिनांक 25.11.2019 का लोकसभा प्रश्न डायरी सं. 2357**

**(संदर्भ: मोडीफिकेशन इन पीसीआईआर पॉलिसी)**

महोदय,

कृपया आप अपने पत्र दिनांक 13.11.2019 का अवलोकन करें जो कि लोकसभा के पटल पर 25.11.2019 को रखा जाना तय हुआ है।

लोकसभा प्रश्न डायरी संख्या 2357 का प्रश्न का उत्तर देने हेतु अनुपूरक सामग्री उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र द्वारा प्रेषित की जा रही है।

धन्यवाद,

भवदीय

(सत्यवीर सिंह)

संयुक्त निदेशक (एच आर)

संलग्नक: यथा उपर्युक्त

का. प्रति:

- कार्यकारी निदेशक
- निदेशक

ओ.आई.डी.बी. भवन, टॉवर ए, 9वाँ तल, प्लॉट नंबर 2, सैक्टर 73, नोएडा-201316 (उ.प्र.)

OIDB Bhawan, Tower "A", 9<sup>th</sup> Floor, Plot No. 2, Sector-73, Noida - 201316 (U.P.)

Tel.: 0120-2593701, Fax: 91-120-2593780/2593782, Email: .....@cht.gov.in, Website : www.cht.gov.in

Liaison Office: C/o OIBD, 301, World Trade Centre, 3<sup>rd</sup> Floor, Babar Road, New Delhi-110 001



No.: CHT/ED/06/2051

18.11.2019




**Sub: Lok Sabha: Diary No: 2357 to be answered on 25.11.2019 regarding Modification in PCPIR Policy**

**Q (a) Whether it is a fact that the policy of Petroleum, Chemicals and Petrochemicals Investment Region (PCPIR) was lying in abeyance due to absence of anchor unit, if so, the details thereof;**

Ans. (a) Inputs may be obtained from IOCL and ONGC/OPAL.

**Q (b) the steps taken/being taken to modify the said policy.**

Ans.(b) Inputs may be obtained from Ministry of Chemicals and Fertilisers.

Prepared by		Approved by		Seen by	
Signature		Signature		Signature	
Name	<b>S.R.Kulkarni</b>	Name	<b>P. Raman</b>	Name	<b>K.K. Jain</b>
Designation	<b>Addl. Director-CHT</b>	Designation	<b>Director-CHT</b>	Designation	<b>ED-CHT</b>
Mobile No.	<b>9892067088</b>	Mobile No.	<b>9920536279</b>	Mobile No.	<b>8586975950</b>



### **Note for Supplementary**

Petroleum, Chemicals and Petrochemicals Investment Regions (PCPIRs) were conceptualised to sustain the growth of the sector by providing quality infrastructure, competitive business environment and Viability Gap Funding (VGF). The PCPIRs would bring together manufacturing facilities, logistics and other services, required infrastructure, residential and administrative areas etc. They are envisaged to generate better efficiency on account of using common infrastructure and support facilities. Government of India formulated the PCPIR policy in April, 2007 to give a boost to this sector.

Each PCPIR will have one refinery or petrochemical company as an anchor tenant along with other manufacturing units. It can also include already existing industrial parks, Special Economic Zones (SEZs) and export units. Each PCPIR is a specifically delineated investment region having an area of about 250 sq. km (with around 40% of the area earmarked for processing activities).

Currently, four coastal states host PCPIRs in the country. Four Petroleum, Chemical and Petrochemical Investment Regions (PCPIRs) are being implemented in the States of Andhra Pradesh (Vishakhapatnam), Gujarat (Dahej), Odisha (Paradeep) and Tamil Nadu (Cuddalore and Nagapattinam) to promote investment and industrial development in these sectors.

#### **Status of Implementation of PCPIRs**

##### **Gujarat PCPIR**

Gujarat PCPIR has been notified under the Gujarat Special Investment Region (GSIR) Act, 2009. The Gujarat Infrastructure Development Corporation (GIDC) has made an investment of around Rs. 16,864 crore for infrastructure development in the PCPIR.

The Anchor Tenant, viz. M/s ONGC Petro additions Ltd. (OPaL), has spent around Rs. 27,700 crore for setting up the Cracker project for production of 1.1 MMTPA Ethylene and 0.6 MMTPA Propylene. The project has been commissioned in March, 2017.

Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) has granted Environment and Coastal Region Zone (CRZ) clearance on 14.09.2017 for an area of 44445.18 hectare for development of Gujarat PCPIR. Environmental Clearances & Coastal Region Zone have been received from MoEF&CC.

##### **Andhra Pradesh PCPIR**

Special Development Authority (SDA) was formed by Government of Andhra Pradesh in May, 2008 to implement the PCPIR. AP PCPIR covers 6 existing SEZs. The committed investment in AP PCPIR is around Rs. 46729.38 crore.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) and GAIL have conducted pre-feasibility study. Discussions are going on between Government of Andhra Pradesh and M/s HPCL & GAIL on Viability Gap Funding and other support / incentives. The Anchor Tenant is yet to be finalised.

### **Odisha PCPIR**

The Anchor Tenant Indian Oil Corporation's 15 MMTPA Refinery at Paradeep was commissioned in February, 2016. Further, 700 Kilo Tonne per Annum (KTA) Polypropylene Unit of IOCL have been commissioned in 2019 which can be utilized in the proposed Plastic Park at the same PCPIR location. IOCL has also planned to set up Mono-ethylene Glycol (MEG) and Paraxylene-PTA for availability of raw materials in time bound and cost effective manner in Paradeep PCPIR.

### **Tamil Nadu PCPIR**

Proposed Anchor Tenant was Nagarjuna Oil Corporation Limited against which liquidation process has been ordered by National Company Law Tribunal (NCLT). State Government of Tami Nadu is in the process of identifying another anchor unit.

**उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र**  
(पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय)  
नोएडा

सीएचटी/ईडी/06/2051

18.11.2019




संदर्भ: लोकसभा: डायरी संख्या: 2357 का जवाब 25.11.2019 को PCPIR नीति में संशोधन के संबंध में दिया जाएगा।

प्रश्न (क) क्या यह तथ्य है कि पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स निवेश क्षेत्र (PCPIR) की नीति एंकर इकाई की अनुपस्थिति के कारण असत्य में पड़ी थी, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उत्तर: (क) IOCL और ONGC/OPAL से निवेश प्राप्त किए जा सकते हैं।

प्रश्न (ख) उक्त नीति को संशोधित करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदम।

उत्तर: (ख) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से निवेश प्राप्त किए जा सकते हैं।

द्वारा तैयार		द्वारा अनुमोदित		द्वारा देखा गया	
हस्ताक्षर		हस्ताक्षर		हस्ताक्षर	
नाम पदनाम	एस.आर.कुलकर्णी अति. निदेशक- उ.प्रौ.केन्द्र	नाम पदनाम	पी. रामन निदेशक-उ.प्रौ.केन्द्र	नाम पदनाम	के.के.जैन कार्यकारी निदेशक-उ.प्रौ.केन्द्र
मोबाइल नं.	9892067088	मोबाइल नं.	9920536279	मोबाइल नं.	8586975950



## अनुपूरक सामग्री

पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स निवेश क्षेत्र (PCPIR) को गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे, प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल और व्यवहार्यता गैप फंडिंग (VGF) प्रदान करके क्षेत्र के विकास को बनाए रखने के लिए संकल्पित किया गया था। PCPIRs विनिर्माण सुविधाओं, लॉजिस्टिक्स और अन्य सेवाओं, आवश्यक बुनियादी ढांचे, आवासीय और प्रशासनिक क्षेत्रों आदि को एक साथ लाएंगे। वे सामान्य बुनियादी ढांचे और समर्थन सुविधाओं का उपयोग करने के लिए बेहतर दक्षता उत्पन्न करने के लिए परिकल्पित हैं। भारत सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल, 2007 में PCPIR नीति तैयार की।

प्रत्येक PCPIR में अन्य विनिर्माण इकाइयों के साथ एक किरायेदार के रूप में एक रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल कंपनी होगी। इसमें पहले से मौजूद औद्योगिक पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और निर्यात इकाइयां भी शामिल हो सकती हैं। प्रत्येक PCPIR एक विशेष रूप से किया गया निवेश क्षेत्र है, जिसमें लगभग 250 वर्ग KM (प्रसंस्करण गतिविधियों के लिए रखे गए क्षेत्र का लगभग 40% क्षेत्र) है।

वर्तमान में, चार तटीय राज्य देश में PCPIR की मेजबानी कर रहा है। इन क्षेत्रों में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश (विशाखापटनम), गुजरात (दहेज), ओडिशा (परदीप) और तमिलनाडु (कड्डालूर और नागपट्टनम) में चार पेट्रोलियम, रासायनिक और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र (PCPIR) लागू किए जा रहे हैं।

### PCPIRs के कार्यान्वयन की स्थिति

#### गुजरात PCPIR

गुजरात PCPIR को गुजरात विशेष निवेश क्षेत्र (GSIR) अधिनियम, 2009 के तहत अधिसूचित किया गया है। गुजरात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (GIDC) ने लगभग रु. 16,864 करोड़ का निवेश किया है।

द एंकर टेनेंट, अर्थात् मैसर्स ONGC पेट्रो एडिंशंस लिमिटेड (OPAL) ने लगभग 27,700 करोड़ निवेश किया और 1.1 MMTPA एथिलीन तथा 0.6 MMTPA प्रोपलीन के उत्पादन के लिए क्रैकर परियोजना मार्च, 2017 स्थापित किया।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने गुजरात PCPIR के विकास के लिए 44445.18 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 14.09.2017 को पर्यावरण और तटीय क्षेत्र (CRZ) को मंजूरी दे दी है। पर्यावरणीय मंजूरी और तटीय क्षेत्र MoEF&CC से प्राप्त किए गए हैं।

#### आंध्र प्रदेश PCPIR

विशेष विकास प्राधिकरण (SDA) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मई, 2008 में PCPIR को लागू करने के लिए बनाया गया था। AP PCPIR में 6 मौजूदा SEZ शामिल हैं। AP PCPIR में प्रतिबद्ध निवेश लगभग रु. 46729.38 करोड़ हैं।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) और GAIL ने पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन किया है। आंध्र प्रदेश सरकार और HPCL और GAIL के बीच व्यवहार्यता गैप फंडिंग और अन्य सहायता / प्रोत्साहन पर चर्चा चल रही है। एंकर टेनेंट को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

### **ओडिशा PCPIR**

पारादीप में एंकर टेनेंट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की 15 MMTPA रिफाइनरी फरवरी, 2016 में चालू की गई थी। इसके अलावा, IOCL की 700 किलो टन प्रति वर्ष (KTA) की पॉलीप्रोपाइलीन यूनिट 2019 में चालू की गई थी, जिसका उपयोग उसी PCPIR स्थान में प्रस्तावित प्लास्टिक पार्क में किया जा सकता है। IOCL ने पारादीप PCPIR में समयबद्ध और लागत प्रभावी तरीके से कच्चे माल की उपलब्धता के लिए मोनो-एथिलीन ग्लाइकॉल (MEG) और पैराज़ाइलीन-PTA स्थापित करने की योजना बनाई है।

### **तमिलनाडु PCPIR**

प्रस्तावित एंकर किरायेदार नागार्जुन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड था, जिसके खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) द्वारा परिसमापन प्रक्रिया का आदेश दिया गया है। तमिलनाडु की राज्य सरकार एक और एंकर टेनेंट की पहचान करने की प्रक्रिया में है।